

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 23/2019

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री विनोद वैष्णव पुत्र श्री बाबुलाल वैष्णव उम्र 26 वर्ष (एफ बी ओ एवं मालिक)—फर्म—मैसर्स द मिठाईवाला, सुनिल पाल वाली गली, म.न. 458, 5वीं रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर। निवासी—प्लॉट संख्या 431, देवी रोड़, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.03.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :- द मिठाईवाला, सुनिल पाल वाली गली, म. न. 458, 5वीं रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर स्थित प्रतिष्ठान में 3 किलोग्राम मावा कचौरी (मावा, मैदा घी निर्मित प्रोप्रायटरी मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु रखी था। उक्त मावा कचौरी (मावा, मैदा घी निर्मित प्रोप्रायटरी मिठाई) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रुपये 540/- नगद देकर 2 किलोग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा 2 किलोग्राम मावा कचौरी (मावा, मैदा घी निर्मित प्रोप्रायटरी मिठाई) को काट कर हिला मिला कर एकरूप कर चार बराबर भागों में चार साफ, सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर चार प्रत्येक नमूने में 40-40 बूंदें 40 प्रतिशत फार्मेलीन बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई एवं प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बंद किया तथा चारों नमूना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम-2020 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-2020 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पेंदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूने के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम-2020 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया। उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की गई। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा कचौरी (मावा, मैदा घी निर्मित प्रोप्रायटरी मिठाई) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग-अलग 2-2 भागों में एम-2020 की जांच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट एलएस/219/एक्ट/2018/273 दिनांक 28.03.2019 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा कचौरी (मावा, मैदा घी निर्मित प्रोप्रायटरी मिठाई) के नमूने में बी.आर. रिडिंग 41.5 से 45.00 के स्थान पर 46.39 प्रतिशत होने के कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम

2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम-2020 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित जवाब पेश कर निवेदन किया कि वह एक हलवाई है तथा उन्होंने हाल ही में एक छोटी दुकान खोली है। जिसमें वे जोधपुर की प्रसिद्ध मावे की कचौरी बनाते हैं मावे की कचौरी में शुद्ध मावा व देशी घी का ही प्रयोग करते हैं लेकिन मैदे में यदि वनस्पति तेल नहीं मिलाया जावे तो मावे की कचौरी को घी में तलने पर वह कठोर हो जायेगी तथा उसमें मुलायमता खत्म हो जायेगी। इस हेतु मैदे में थोडा तेल मिलाकर गोंदा जाता है इस कारण से बी.आर. रिडिंग 45 के बजाय 46.30 आई है तथा अब मैंने कचौरी बनाना बंद कर दिया है क्योंकि इसके प्रयोग के बिना कचौरी की मुलायमता नहीं होने से ग्राहक इसे पसंद नहीं करते हैं। जोधपुर में किसी भी प्रसिद्ध दुकान पर मिलने वाली मावे की कचौरी को मैदे में तेल का मुग देकर ही तैयार किया जाता है। अतः मामला खारिज फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट एलएस/219/एक्ट/2018/273 दिनांक 28.03.2019 का अवलोकन किया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन व स्वयं को सुनने के बाद, मनन पश्चात् पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी उपरोक्त लैब रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था जो रेफरल जांच करवाने का अवसन था परन्तु अप्रार्थी ने ऐसा नहीं किया। अतः अप्रार्थी पर शास्ती रूपये 2000/- अक्षरे रूपये दो हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 09.08.2019 के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियत तिथी में शास्ती राशि जमा नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के मार्फत भू-राजस्व की तरह वसूली की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

दिनांक :-14.08.2019

क्रमांक:- न्यायिक/कोर्ट/2019/

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर (राज.) को भेजकर लेख है कि आदेशों की पालना निश्चित समयावधि में सुनिश्चित करें।
3. श्री विनोद वैष्णव पुत्र श्री बाबुलाल वैष्णव उम्र 26 वर्ष (एफ बी ओ एवं मालिक)-फर्म-मैसर्स द मिठाईवाला, सुनिल पाल वाली गली, म.न. 458, 5वीं रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर। निवासी-प्लॉट संख्या 431, देवी रोड़, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

